राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3119/2002

अश्विनी कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

1. आयुक्त, देवस्थान, राजस्थान, उदयपुर।
2. नरपत सिंह, कनिष्ठ लिपिक कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान, जोधपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.12.2002
आदेश की दिनांक : 07.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 06.07.1982 के आदेश से हुई तथा उसने दिनांक 07.07.1982 को कार्यग्रहण किया। उन्हे दिनांक 07.07.1982 से आदेश दिनांक 15.03.1984 द्वारा स्थाई कर दिया गया। शिक्षित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची दिनांक 25.01.1996 को प्रकाशित हुई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रमांक 56 पर अंकित है, जबकि प्रत्यर्थी संख्या–2 का नाम उक्त वरिष्ठता सूची में क्रमांक 59 पर है जो निर्विवाद रूप से अपीलार्थी से कनिष्ठ है। प्रत्यर्थी सं: । ने आक्षेपित आदेश क्रमांक 13933, दिनांक 11.10.2002 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–2 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति दे दी, जबकि अपीलार्थी कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति की अहर्ताएं रखता है एवं प्रत्यर्थी सं. 2 से वरिष्ठ है ।
2. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को निर्देश दिये जाये कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 2 की पदोन्नति दिनांक से प्रबंधक एवं कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान करें। इस प्रकार अपीलार्थी ने जो अपील प्रस्तुत की है, उसमें एकमात्र आधार यह बताया है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति प्रत्यर्थी संख्या–2 श्री नरपत सिंह को

पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। ऐसे में अपीलार्थी को भी पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–2 को गलत रूप से पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में जानकारी प्रापत हुई तो प्रत्यर्थी विभाग ने निजी प्रत्यर्थी नरपत सिंह को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया। क्यों न उनकी पदोन्नति वापस ले ली जाए। उक्त कारण बताओ नोटिस के विरूद्ध निजी प्रत्यर्थी ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका संख्या 6834/2003 प्रस्तुत कर रखी है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.11.2003 को स्थगित रखे जाने के आदेश दिये गये हैं। उक्त रिट याचिका वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि निजी प्रत्यर्थी पदोन्नति का लाभ ले रहे हैं और उन्हें अभी भी पदावनत नहीं किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ दिया जाए, क्योंकि अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी से वरिष्ठ है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से नरपत सिंह को जो पदोन्नति दी गई है, उसे वापस लेने की कार्यवाही लम्बित है। माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश पारित होने के कारण पदोन्नति का आदेश निरस्त नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात ही आगे कार्यवाही की जाएगी।

6. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस अपील का निस्तारण इस आधार पर किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय में नरपत सिंह के मामले में गुणावगुण के आधार पर यदि पदोन्नति का लाभ दिया जाना उचित माना जाता है तो अपीलार्थी के मामले में भी प्रत्यर्थी विभाग परिक्षण कर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण पर निर्णय करेगा। इस आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)